

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर

मुकाम अलवर

जन्नी बनाम जैनी उर्फ चैनी वगै.

किरम मुकदमा प्रा0 पत्र 212 रा0का0अधि0..... नं0 2/ / सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09.05.2023	<p>आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड की नकलात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन करने पर प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाये जाते हैं।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 13.06.2023 तक पाबन्द किया जाता है कि वो खसरा नम्बर 420 रकबा 0.85 हैक्टियर वाकेग्राम सामोला तहसील अलवर के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब हो, कि क्यों ना उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा Absolute कर दिया जावे। यदि कोई आक्षेप हो तो दिनांक 13.06.2023 को उपस्थित होकर पेश करे। पत्रावली दिनांक 13.06.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी अलवर</p>	

13-5-23

पत्रावली उम्मीद/वकील वादी के पत्रावली पर पूर्व निर्धारित तारीख वैली ले पूर्व तक की गई उ०पत्र में अंकित किया गया है कि सख्त व श्रद्धा अज्ञानता वश मेरे द्वारा वाप उल्लुत किया है वट इली बट्टे पर शर्मी के अधिकार सुरक्षित रखते हुए वाप बिडे किये जाने की अनुमति - पावनी है। उ०पत्र पर पत्र उम्मीद/वकील वादी को उजागर

Handwritten signature and initials on the right side of the page.

Handwritten signature at the bottom right.

कापी बनान करने के उपरान्त, जमीन के
वकील जहाँ का उपपत्र हवीकाट किया जाता
है

मत. जमीनी का उपपत्र हवीकाट
खीरज किया जाता है पताबली नक्का
ले काम हो बाद तकमील पताबली जारी
पफता है।


उपस्यण्ड अधिकारी
अलवर

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page]